Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

40-2016/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MARCH 16, 2016 (PHALGUNA 26, 1937 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 16th March, 2016

No.4-HLA of 2016/8.— The Industrial Disputes (Haryana Amendment) Bill, 2016, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 4- HLA of 2016

THE INDUSTRIAL DISPUTES (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2016

A

BILL

further to amend the Industrial Disputes Act, 1947, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called the Industrial Disputes (Haryana Amendment) Act, 2016. Short title.

2. In sub-section (1) of section 25K of the Industrial Disputes Act, 1947,- Amendment of section 25K of Central Act 14 of 1947.

(i) for the word "one hundred", the words "three hundred" shall be substituted;

(ii) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;

(iii) the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the State Government may, if satisfied that maintenance of industrial peace or prevention of victimization of workmen so requires, by notification in the Official Gazette, apply the provisions of this Chapter to an industrial establishment (not being an establishment of a seasonal character or in which work is performed only intermittently) in which less than three hundred workmen, but not less than one hundred as may be specified in the notification, were employed on an average per working day or during the preceding twelve months.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the Industrial Disputes Act, 1947, is a Central legislation. As per the existing provisions of section 25 K of the principal Act, the industrial establishments which employ one hundred or more workmen are required to obtain prior permission in respect of lay-off, retrenchment and closure. With a view to facilitate the industry, it is proposed to increase the limit of one hundred workmen to three hundred workmen. However, this limit of three hundred workmen is subject to a rider to the effect that if the State Government is satisfied that maintenance of industrial peace or prevention of victimization of workmen so requires, it may apply the provisions to such industrial establishments employing less than three hundred workmen but not less than one hundred, as may be specified by the Government.

CAPTAIN ABHIMANYU,
Labour & Employment Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 16th March, 2016.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2016 का विधेयक संख्या 4–एच0एल0ए0

औद्योगिक विवाद (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, हरियाणा राज्यार्थ,

को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम औद्योगिक विवाद (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25ट की उप–धारा (1) में,– 1947 के केन्द्रीय अधिनियम 14 की धारा 25ट का संशोधन।

(i) "एक सौ" शब्दों के स्थान पर, "तीन सौ" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) अन्त में विद्यमान "I" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु यदि राज्य सरकार सन्तुष्ट हो जाती है कि औद्योगिक शांति बनाए रखने या इस प्रकार अपेक्षित कर्मकारों के उत्पीड़न के निवारण हेतु राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, औद्योगिक स्थापना (किसी समय विशेष की स्थापना न होते हुए अथवा जिसमें कार्य केवल अनिरन्तर रूप से निष्पादित किया जाता हो) जिसमें तीन सौ से अधिक किन्तु एक सौ से कम कर्मकार न हों, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, औसतन प्रति कार्य दिवस पर या पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान नियोजित किए गए थे, को इस अध्याय के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 एक केन्द्रीय अधिनियम है। मुख्य अधिनियम की वर्तमान धारा 25 ट के अनुसार जो औद्योगिक संस्थान 100 से अधिक श्रमिकों का नियोजन करता है और उसे छट्नी, कामबन्दी (ले–ऑफ) या संस्था बन्द करने से पहले सरकार की पूर्व अनुमति लेना वांछित है। उद्योग को सुविधा देने के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि 100 श्रमिकों की यह सीमा बढ़ाकर 300 कर दी जाये फिर भी यह 300 श्रमिकों यह सीमा पर एक शर्त लगाई जा रही है कि यदि राज्य सरकार सन्तुष्ट हो कि औद्योगिक शान्ति व श्रमिकों का शोषण रोकने के लिए यदि वांछित हो तो यह प्रावधान उन औद्योगिक संस्थानों पर भी लागू किया जा सकता है जिनमें 300 से कम श्रमिक हों किन्तु 100 से कम ना हों जैसा कि सरकार द्वारा स्पष्ट किया जाये।

कैप्टन अभिमन्यु ,
श्रम एवं रोजगार मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 16 मार्च, 2016.

आर0 के0 नांदल,
सचिव।

54151—H.V.S.—H.G.P., Chd.